दूदू कलेक्टर के ऑफिस से लेपटॉप व कई दस्तावेज जब्त किए ए.सी.बी.ने

दूदू जिला कलेक्टर व पटवारी द्वारा भू-रूपांतरण के बदले पच्चीस लाख रुपये की घूस मांगने का मामला

- राज्य सरकार ने कलेक्टर ढाका को शनिवार देर रात एपीओ किया।
- एसीबी ने शुक्रवार देर रात को कलेक्टर और पटवारी हंसराज के सरकारी आवास और तहसील में तलाशी अभियान चलाया था।
- एसीबी की टीम ने कलेक्टर और पटवारी के मोबाइल फोन लेपटॉप व कंप्यूटर जब्त किए।

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने भू-रूपांतरण के बदले पच्चीस लाख रुपये की घूस मांगने के मामले में शनिवार को दूदू जिला कलेक्टर हनुमान मल ढाका के ऑफिस और तहसील से अहम सबूत जब्त किए है। वहीं इस बीच मामले में राज्य सरकार ने कलेक्टर ढाका को एपीओ कर दिया है।

एसीबी के एडीजी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि मामले में आरोपी दूदू जिला कलेक्टर हनुमान मल ढाका के ऑफिस में सर्च कर कई स्टेटमेंट और दस्तावेज एसीबी की टीम ने जब्त किए है। शुक्रवार देर रात को मामले में कलेक्टर हनुमान मल ढाका और पटवारी हंसराज के सरकारी आवास और तहसील में तलाशी अभियान चलाया था। उन्होंने बताया कि केस का नेचर देखते हुए कलेक्टर के निजी आवास पर सर्च की कार्रवाई नहीं की गई। एसीबी की टीमें सबूतों की जांच और अनुसंधान में जुटी हुई है।

सूत्रों के अनुसार एसीबी की टीम ने शनिवार को कलेक्टर हनुमान मल ढाका और पटवारी हंसराज के मोबाइल फोन जब्त किए है। इनकी एफएसएल से जांच करवाई जा रही है। वहीं आज एसीबी की एक टीम सुबह दूदू तहसील कार्यालय पहुंची। जहां एसीबी के अधिकारियों ने पटवारी के कमरे की तलाशी लेकर वहां से कम्प्यूटर व कुछ जरूरी दस्तावेज जब्त किए। वहीं दूसरी टीम ने कलेक्टर हनुमान मल ढाका के ऑफिस में भी सर्च किया। इस दौरान उनका लेपटॉप व दस्तावेज जब्त किए। इससे पहले शुकवार देर रात करीब एक बजे शुरू हुई सर्च की कार्रवाई शनिवार सुबह आठ बजे तक चली।

उधर, एसीबी ने कलक्टर हनुमान मल ढाका और पटवारी हंसराज को मामले में अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। एसीबी दोनों से एसीबी पूछताछ कर रही है।

सूत्रों के अनुसार अब तक की जांच में सामने आया कि कलेक्टर व पटवारी घूस लेने के लिए व्हाट्सअप कॉल का इस्तेमाल करते थे। ताकी कभी पकड़े नहीं जा सके और कॉल हिस्ट्री से भी बचा जा सके। लेकिन एसीबी को मालूम चल गया था कि व्हाट्स अप कॉल से यह सारा खेल खेला जा रहा है। इसलिए एसीबी कॉल रिकॉर्डिंग कर रही थी। एसीबी ने कलेक्टर का एक और पटवारी के दो मोबाइल बरामद कर लिए है। अब दोनों के मोबाइल से कई राज खुलेंगे। इसके बाद एसीबी दोनों को नोटिस जारी कर मुख्यालय में पूछताछ के लिए फिर बुला सकती हैं

गौरतलब है कि एसीबी ने दूदू कलेक्टर हनुमान मल ढाका और पटवारी हंसराज के यहां शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे छापेमारी की। आरोप है कि भू-रूपांतरण के बदले 25 लाख रुपए घूस मांगी गई थी।

यह था मामला...

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो डीआईजी डॉ. रवि ने बताया कि एसीबी को पीड़ित ने शिकायत दी कि दूदू में उसकी फर्म के नाम से 204 बीघा जमीन है। इसके कुछ खसरे तालाब-पाल क्षेत्र में होने के कारण कन्वर्जन करवाए जाने की शिकायत कलेक्टर के पास की गई थी। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के बदले दूदू कलेक्टर हनुमान मल ढाका और पटवारी हंसराज ने 25 लाख रुपए मांगे थे। पैसे के लिए परिवादी को परेशान किया जा रहा था। हालांकि पीड़ित ने पैसा नहीं होने का हवाला दिया तो 15 लाख रुपए देने के बदले कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया गया था। एसीबी के सत्यापन के दौरान पीड़ित के साथ रिकॉर्डर भी भेजा गया था। जिसमें यह साबित हो गया कि दूदू कलेक्टर ढाका ने रिश्वत के करीब साढ़े सात लाख रुपए डाक बंगला स्थित अपने आवास पर मंगाए थे। उन्होंने बताया कि पीसी एक्ट के तहत कलेक्टर और पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज कर छापेमारी की गई है। एसीबी ने कलेक्टर के डाक बंगला स्थित आवास और तहसील कार्यालय दूदू में भी तलाशी ली।

नई शिक्षा नीति के आलोक में शिक्षण रुचिकर बने : राज्यपाल

- नेशनल बोर्ड आफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस द्वारा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि फैकल्टी डेवलपमेंट के अंतर्गत शिक्षण की बोझिलता को दूर करने के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा में जो नवीनतम परिवर्तन हो रहे हैं, उनको सम्मिलित करते हुए नई शिक्षा नीति के आलोक में शिक्षण को प्रभावी किया जाए।

मिश्र शनिवार को महात्मा गांधी चिकित्सा विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय में नेशनल बोर्ड आफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस द्वारा आयोजित फैकल्टी डवलपमेंट प्रोग्राम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संकाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को पढ़ाना नहीं, उन्हें समय-संदर्भों से जोड़ते हुए शिक्षण को रुचिकर बनाना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीखना और सीखाना सतत प्रक्रिया है। ऐसे कार्यक्रमों के जरिए यह प्रयास किया जाए कि शिक्षण विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर सके। उन्होंने कहा कि सक्षम और प्रभावी शिक्षक ही विद्यार्थियों को भविष्य की नई दिशाएं प्रदान कर सकता है।

राज्यपाल कलराज मिश्र

मिश्र ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य तकनीक का समावेश करते हुए चिकित्सा प्रशासन, शोधकर्ता की भूमिका आदि से जुड़े कौशल विकसित करने की ओर भी ध्यान दिया जाए। उन्होंने देश की नई शिक्षा नीति के आलोक में भी फैकल्टी डेवलपमेंट को अद्यतन किए जाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा वही सार्थक है जिसमें नएपन पर जोर हो। शैक्षिक नवाचारों को जितना अधिक हम अपनाएंगे उतना ही हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के रास्ते खुलते चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि ज्ञानार्जन के साथ-साथ शिक्षा जनोपयोगी तभी बनेगी, जब युगीन संदर्भों का समावेश करते हुए उसमें नवाचारों को अपनाया जाए।

इससे पहले राज्यपाल ने उपस्थितजनों को संविधान की उद्देशिका का वाचन करवाया और मूल कर्तव्य पढ़कर सुनाए। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर संकाय विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इससे पहले नेशनल बोर्ड आफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस के अध्यक्ष डॉ. अभिजीत सेठ ने इस कार्यक्रम की उपादेयता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उपाध्यक्ष डॉ. सी. मल्लिकार्जुन ने संकाय विकास के लिए राज्यवार किए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में बताया। उपाध्यक्ष डॉ. शिवकांत मिश्र ने सभी का आभार जताया।

सिटी पैलेस में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को हरि ओम जन सेवा समिति राजस्थान द्वारा जीव दया सम्मान पत्र भेंट किया गया। यह सम्मान लघु उद्योग भारती सरना के अध्यक्ष सुमेर सिंह शेखावत, हरि ओम जन सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष पंकज गोयल, सौर ऊर्जा वाले चिरंजी लाल कुमावत, पार्षद सुरेश जांगिड़ द्वारा प्रदान किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि समिति द्वारा किए जा रहे सेवा कार्य प्रशंसा के योग्य है। बेजुबान जानवरों व पक्षियों की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य और धर्म का कार्य है। समिति द्वारा पिछले 7 सालों से प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों के लिए मां अन्नपूर्णा भंडारा भी चलाया जा रहा है।

नेट-थियेट पर भजनों की स्वर गंगा बही

जयपुर, (का.सं.)। नेट-थियेट कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज भजन की स्वर गंगा कार्यक्रम में भजन कलाकार गौरव भट्ट ने अपनी मधुर वाणी से भजन की ऐसी सरिता प्रवाहित कि की लोग भक्ति रस में हिलोरे लेने लगे।

नेट-थियेट के राजेन्द्र शर्मा राजू ने बताया कि कलाकार गौरव ने अपने कार्यक्रम की शुरूआत सुरदास के भजन प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो,चाहो तो पार करो सुनाकर भजन की शुरुआत की। इसके बाद मीराबाई का भजन दरस बिना दुखन लागै नैन और फिर गुरुनानक की वाणी काहे रे बन खोजने जाई, सख निवासी सदा अलेपा तोही संगि समाई जैसे भजनों को बड़े ही सुरीले अंदाज में प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध किया और अंत में तुम मेरी लाखों लाज हरि, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करी, सुनाकर श्रोताओं को भजनों की र्स्वगंगा में डुबकी लगवाई।

इनके साथ सितार पर हरिहर शरण भट्ट और तबले पर विजय बानेत ने असरदार संगतकर भजनों की इस सुरीली शाम को भक्तिमय बना दिया कार्यक्रम का संचालन सुप्रसिद्ध उद्घोषक आर डी अग्रवाल ने किया। संयोजक नवल डांगी तथा प्रकाश एवं कैमरा मनोज स्वामी एवं संगीत सागर गढवाल ने किया।

अब तक 932 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अवैध सामग्री पकड़ी

आचार संहिता लागू होने के बाद से राजस्थान में रिकॉर्ड जब्ती

- 4 जिलों में 40 करोड़ रुपये से अधिक, 9 जिलों में 30 करोड़ और 13 जिलों में 20-20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुएं, नकद राशि जब्त

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव-2024 के मद्देनजर अलग-अलग एनफोर्समेंट एजेंसियों ने मार्च महीने की शुरुआत से अब तक नशीली दवाओं, शराब, कीमती धातुओं, मुफ्त बांटी जाने वाली वस्तुओं (फ्रीबीज) और अवैध नकद राशि के रूप में 932.41 करोड़ रुपये कीमत की जब्तियां की हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद निर्वाचन विभाग के निर्देश पर 16 मार्च से अब तक एजेंसियों द्वारा पकड़ी गई वस्तुओं की कीमत 834 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से संदिग्ध वस्तुओं और धन के अवैध उपयोग पर अलग-अलग एजेंसियां कड़ी निगरानी कर रही हैं। इसी क्रम में प्रदेश भर में लगातार जब्ती की कार्रवाई की जा रही हैं। 1 मार्च से अब तक राजस्थान में 4 जिलों में 40-40 करोड़ रूपये से अधिक, 9 जिलों में 30-30 करोड़ रुपये और 13 जिलों में 20-20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संदिग्ध वस्तुएं और नकदी आदि जब्त की गई है।

जिलेवार जब्ती में जोधपुर में 47.03, चूरू में 43.08 गंगानगर में 41.92, भीलवाड़ा में 40.11, जयपुर में 39.18, पाली में 39.10, डूंगरपुर में 38.53, दौसा में 36.75, उदयपुर में 36.25, बाड़मेर में 36.21, झुंझुनूं में 34.74, बीकानेर में 32.97, चित्तौड़गढ़ में 32.44, अलवर में 29.78, टोंक में 29.50, प्रतापगढ़ में 29.43, नागौर में 27.96, हनुमानगढ़ : 25.32, बांसवाड़ा में 24.94, कोटा में 23.43, जालोर में 22.45, धौलपुर में 22.28, राजसमंद में 22.23, अजमेर में 21.91, सिरोही में 20.84, झालावाड़ में 20.49 करोड़ रुपये की जब्ती की है।

गुप्ता ने बताया कि अलग-अलग एजेंसियों की ओर से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, इस वर्ष 1 मार्च से अब तक लगभग 40 करोड़ रुपये नकद, 131.69 करोड़ रुपये मूल्य की ड्रग्स, 45.72 करोड़ रुपये स्व अधिक कीमत की शराब और लगभग 51.39 करोड़ रुपये मूल्य की सोना-चांदी जैसी कीमती धातुओं की जब्ती की गई है। साथ ही, 662.73 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की अन्य सामग्री तथा लगभग 90 लाख रुपये मूल्य की मुफ्त वितरण की वस्तुएं (फ्रीबीज) भी जब्त की गई हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि संदिग्ध वस्तुओं के अवैध परिवहन पर कार्रवाई करने वाली कार्यकारी एजेंसियों में राज्य पुलिस, राज्य एक्साइज, नारकोटिक्स विभाग एवं आयकर विभाग प्रमुख हैं।

परिवीक्षा काल में किए जे.ई.एन. के तबादले पर रोक

- जब परिवीक्षा काल में तबादला नहीं किया जाता तो याचिकाकर्ता का तबादला क्यों किया गया : अदालत

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने परिवीक्षाकाल में चल रहे जेईएन के तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार सहित पीएचईडी विभाग से जवाब देने को कहा है। अदालत ने पूछा है कि जब परिवीक्षा काल में तबादला नहीं किया जाता तो याचिकाकर्ता का तबादला क्यों किया गया।

जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश शिवानी की याचिका पर दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सामान्य तौर पर राज्य सरकार के हर विभाग के तबादला आदेश में यह नोट डाला जाता है कि यदि कोई कर्मचारी परिवीक्षा काल में है तो उस पर तबादला आदेश प्रभावी नहीं होगा। इसके बावजूद याचिकाकर्ता के तबादला आदेश में इस तरह का कोई भी नोट नहीं डाला गया है।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति दिसंबर 2022 में दो साल के परिवीक्षा काल पर हिंडौन में हुई थी, लेकिन दो साल का प्रोबेशन समय पूरा हुए बिना ही फरवरी 2024 में उसका तबादला गंगापुर कर दिया गया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि प्रोबेशन पीरियड में किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफर करने का नियम नहीं है।

एकात्म मानव दर्शन पर होगी वार्ता

जयपुर। पं.दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक धानक्या में रविवार को एकात्म मानव दर्शन विषय पर वार्ता सत्र का आयोजन होगा। कार्यक्रम के संयोजक दुष्यंत कुमार ने बताया कि मानव जीवन की एकात्म दृष्टि के आधुनिक चिंतक और विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा दी गई "एकात्म मानव दर्शन" विषयक व्याख्यान माला को 60वाँ वर्ष प्रारम्भ हो रहा है। इस अवसर पर पंडित दीनदयाल स्मारक की यात्रा एवं दर्शन हेतु एक ट्रिप आयोजित कर रहे हैं। इसमें डॉ. सुभाष कौशिक, शिक्षाविद और सार्थक संवाद के संयोजक देवेश बंसल के साथ "एकात्म मानव दर्शन" पर वार्ता- चर्चा सत्र भी आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन रविवार प्रातः 6 बजे से प्रारंभ होगा।

ए.आई. जरूरी, लेकिन फैसले दिमाग से ही नहीं दिल से भी होते हैं : जस्टिस मिश्रा

- वैकल्पिक वाद निस्तारण की व्यवस्था न्याय प्रणाली में गेम चेंजर की भूमिका निभाएगी : सी.जे.

जयपुर, (का.सं.)। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा कि वर्तमान परिपेक्ष्य में न्याय व्यवस्था में वैकल्पिक वाद निस्तारण व्यवस्था और तकनीक जरूरी है। तकनीक के चलते लोगों को भौगोलिक बाध्यताओं के बिना कम लागत में न्याय मिल रहा है। जस्टिस मिश्रा राजस्थान हाईकोर्ट की प्लेटिनम जुबली को लेकर आयोजित समारोह की कड़ी में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित एडीआर में तकनीक-भविष्य में नवाचार और चुनौतियां विषय पर आयोजित समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज न्याय व्यवस्था में आर्टिफिशल इंटेलिजेंसी (ए.आई.) जरूरी है, लेकिन सिर्फ एआई से न्याय नहीं मिल सकता, क्योंकि कई बार फैसले दिमाग से ही नहीं दिल से भी दिए जाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा (बायें से तीसरे) ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित एडीआर में तकनीक-भविष्य में नवाचार और चुनौतियां विषय पर आयोजित समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम.एम.श्रीवास्तव (बायें से चौथे) , सोलिसीटर जनरल तुषार मेहता (बायें से पहले) , राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसियेशन के अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा (बायें से पांचवें) और एडवोकेट जनरल राजेन्द्र प्रसाद (दायें) ने भी संबोधित किया।

जस्टिस मिश्रा ने कहा कि एआई तकनीक न्याय दिलाने में सहायक हो सकती है, लेकिन यह मानव मस्तिष्क का स्थान नहीं ले सकती। मशीन सिर्फ अपनी फाइंडिंग दे सकती है, लेकिन हर फाइंडिंग जजमेंट नहीं होता। एक अमीर व्यक्ति की ओर से की गई चोरी और एक गरीब व्यक्ति की ओर से जीवन जीने के लिए की गई चोरी को एआई एक तरह से ही देखेगी। यदि तकनीक का उचित उपयोग नहीं किया गया तो यह अर्श से फर्श पर भी ला सकती है। दूसरी ओर इसमें साइबर सुरक्षा और डेटा प्रोटेक्शन का खतरा भी रहता है, लेकिन अब ई-अनपढ़ नहीं रहा जा सकता। इसके अलावा वैकल्पिक वाद निस्तारण में वकील की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

वहीं हाईकोर्ट के सीजे एमएम श्रीवास्तव ने कहा कि आज निचली अदालतों में करीब चार करोड और हाईकोर्ट ने 65 लाख मामले लंबित हैं। बिना गुणवत्ता कम किए इनका जल्दी निस्तारण करना एक चुनौती है। अब न्यायिक प्रक्रिया में तकनीक का उपयोग कर मुकदमों का निस्तारण किया जा रहा है और ई-कोर्ट इनका उदाहरण है। हमने कोविड में तकनीक की महत्ता देखी है। ऑनलाइन लोक अदालतों के जरिए हमने बडी संख्या में मुकदमें तय किए हैं। वैकल्पिक वाद निस्तारण की व्यवस्था न्याय प्रणाली में गेम चेंजर की भूमिका निभाएगी। आज प्रदेश में लंबित मुकदमों में एक तिहाई चैक अनादरण के केस हैं। इन मुकदमों और एमएसीटी जैसे मुकदमों को एडीआर के जरिए सुलझाया जा सकता है। हम तकनीक से अधिकतम सहायता ले सकते हैं, लेकिन साथ ही मानव दृष्टिकोण भी रखना पड़ेगा।

इस मौके पर जस्टिस पंकज भंडारी ने कहा कि एडीआर मुकदमों के भार के नीचे दबी न्यायपालिका के भार को कम करते हैं। ऑनलाइन वाद निस्तारण से कम लागत में न्याय मिल रहा है। ई-कोर्ट से भी लोगों को न्याय मिल रहा है। हालांकि इसमें क्षेत्राधिकार जैसी कुछ समस्या भी रहती है। वहीं इससे जुडे कुछ कानूनों में भी संशोधन करने की जरूरत है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एआई की सहायता तो ली जा सकती है, लेकिन इसके साथ ही मानव मस्तिष्क का उपयोग भी जरूरी है। एआई सेवक हो सकती है, मालिक नहीं। सेमिनार को गेस्ट ऑफ ऑनर जस्टिस डॉ पुष्पेंद्र भाटी, राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसियेशन के अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा, एडवोकेट जनरल राजेन्द्र प्रसाद ने भी संबोधित किया।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

तृतीय पुण्यतिथि

श्री अनिल वार्ष्णेय
वरिष्ठ पत्रकार

तृतीय पुण्यतिथि पर हम सभी परिवारजन अश्रुपूरित नेत्रों से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

श्रद्धावनत- श्रीमती निशा वार्ष्णेय (पत्नी), डॉ. दीपाली वार्ष्णेय अग्रवाल, दीपक सिंघल (पुत्री-दामाद), दिव्यम, तनिष्क (दोहिते) व समस्त वार्ष्णेय परिवार।

नाम परिवर्तन

मैं सीमा देवी घोषणा करती हूँ कि मेरे पति श्री मोहिन्दर सिंह के आर्मी रिकार्ड में मेरा नाम सीमा गलत दर्ज है जबकि मेरा सही नाम सीमा देवी है। उक्त दोनों नाम मेरे स्वयं के है, भविष्य में मुझे सीमा देवी पत्नि श्री मोहिन्दर सिंह निवासी गोब धोली पोस्ट बडला तहसील दसहा जिला होशियारपुर पंजाब के नाम से जाना पहचाना जावे।

मैंने अपना नाम नवनीत के शर्मा से बदलकर नवनीत शर्मा रख लिया है। भविष्य में मुझे मेरे नये नाम नवनीत शर्मा पुत्र श्री पुरूषोत्तम शर्मा के नाम से जाना पहचाना जावें। निवासी 4098 यादव भवन, गणगौरी बाजार, लंगर के बालाजी का रास्ता, जयपुर, राज-302001

In my son's school record myself and my son's surname is wrongly written as Rinky Agrawal & Divyansh Agrawal while correct names are Rinky Agarwal and Divyansh Agarwal. In future we shall be known by correct name. Rinky Agarwal, B-12,Shakti Nagar, Behind Dev Nagar, Tonk Road, Jaipur 9799991133

खोया पाया

मेरे मकान नं. 2-ट-17 नाहरी का नाका स्कीम के कब्जा पत्र, अलाटमेन्ट लैटर हाऊसिंग बोर्ड सब्जीमंडी से खण्डेलवाल कॉलेज शास्त्रीनगर के बीच गिर गये है। मिलने पर सूचित करें। 7737013226

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं प्रहलाद शर्मा पुत्र श्री मनसुख शर्मा के मेरे पुत्र अनूप शर्मा व पुत्रवधु श्रीमती वन्दना शर्मा मुझे आये दिन लडते झगडते हैं और मेरा कहना भी नहीं मानते है। अतः मैं मेरी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करता हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति इनसे लेनदेन व व्यवहार करेगा तो वह खुद जिम्मेदार होगा। मैंने इनके खिलाफ दिनांक 16.09.2023 को एफ.आई.आर. दर्ज करवा रखी है।

(प्रहलाद शर्मा) प्लाट नम्बर 65-ए, गोपी नगर, मानबाग, जयसिंहपुरा खोर

SBI भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

परिशिष्ट IV क [नियम 8(6) का परन्तुक देखें] अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस। आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणी मैसर्स श्री श्याम कस्टमर सेंटिसफेक्सन जरिये प्रोपराइटर श्री विमल कुमार पथिक पुत्र श्री किशोरी लाल पथिक को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित/बन्धक है, का कब्जा प्रतिभूत लेनदार भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, जयपुर (राजस्थान) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, प्रतिभूत लेनदार द्वारा "जैसी है जहां है", "जो है जैसी है", "जितनी भी उपलब्ध है" और "दायित्व रहित" के आधार पर दिनांक 29.05.2024 को बेचा जायेगा। भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, जयपुर (राजस्थान), प्रतिभूत लेनदार के बकाया राशि रू. 47,10,516.25 अक्षरे सैंतालीस लाख दस हजार पांच सौ सोलह रूपए एवं पच्चीस पैसे मात्र (दिनांक 04.04.2022 को बकाया) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे हत्यादि अतिरिक्त जो कि मैसर्स श्री श्याम कस्टमर सेंटिसफेक्सन जरिये प्रोपराइटर श्री विमल कुमार पथिक पुत्र श्री किशोरी लाल पथिक से संबंधित है। आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि निम्न तालिका अनुसार होगी। अग्रिम राशि बैंक/एमएसटीसी की वैब साइट पर दी गई प्रक्रिया अनुसार ई-नीलामी बंद होने से पूर्व जमा कराई जा सकती है।

अचल सम्पत्ति का ब्यौरा	आरक्षित मूल्य व धरोहर राशि	समय
साम्यिक बंधक का सब हिस्सा और खंड जो की श्री विमल कुमार पथिक पुत्र श्री किशोरी लाल पथिक के नाम दुकान नं. 208 (बिना ऊपरी छत के) जो दूसरी मंजिल, वंडर मॉल, ब्लॉक-ए, केडलगंज, अलवर, जिला अलवर, राजस्थान स्थित जिसका निर्मित क्षेत्र 482 वर्ग फीट है। जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार है:- पूर्वः खुला गलियारा, पश्चिमः भूतल के लिए खुला स्थान, उत्तरः दुकान नं. 207, दक्षिणः अन्य दुकाने	रू. 28,92,000/- रू. 2,89,200/-	सुबह 11:00 से दोपहर 03:00

अन्य ऋण भारः ज्ञात नहीं

इच्छुक बोलीदाता एमएसटीसी के पास प्री-बिड ईएमडी की राशि ई-नीलामी बंद होने से पूर्व जमा कर सकते है। एमएसटीसी के बैंक खाते में भुगतान की प्राप्ति और ई-नीलामी वेबसाइट में ऐसी जानकारी को अपडेट करने के बाद ही बोलीदाता को प्री-बिड ईएमडी का कंडिट दिया जाएगा। इन कार्यवाहियों को अद्यतन/अपडेट होने में बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार कुछ समय लग सकता है और इसलिए बोलीदाताओं को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि अंतिम समय की किसी भी समस्या से बचने के लिए बोली पूर्व ईएमडी राशि पर्याप्त समय रहते जमा करें।

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए भारतीय स्टेट बैंक, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाईट https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auction-notices/sarfaesi-and-others व https://ibapi.in/Sale_Info_Home.aspx पर देखें।

हस्ता.
प्राधिकृत अधिकारी
भारतीय स्टेट बैंक

दिनांकः 26.04.2024, स्थानः जयपुर (राज.)

Website: bank.sbi
Landline No.: +91-141 2658111, 2657989
Fax: +91-141 2657928, 2657921
Email: Sbi.18184@sbi.co.in

Stressed Assets Recovery Branch
3rd Floor, Matrix Mall, Sector-4
Jawahar Nagar, Jaipur- 302004

तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा
तीसरी मंजिल, मैट्रिक्स मॉल, सेक्टर-4
जवाहर नगर, जयपुर - 302004